आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5/8/24	**आदेश (5/24)** प्रस्तुत वाद आवेदक भुनेश्वर पासवान पिता- यमुना पासवान साकिन- बुकुईया थाना- बगोदर जिला- गिरिडीह के आवेदन पर अंचल अधिकारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मौजा- बुकुईया थाना- बगोदर जिला- गिरिडीह के निम्नलिखित विवरण वाले भू खण्डो पर 1. खाता नं. 22, प्लॉट नं. 75 रकबा 12 डिसमिल चौहद्दी उ. मोहन ठाकुर द. रास्ता पू. निज प. रास्ता; 2. खाता नं. 15, प्लॉट नं. 73 रकबा 28 डिसमिल चौहद्दी उ. मोहन ठाकुर वगैरह द. निज पू. रास्ता प. निज; 3. खाता नं. 04, प्लॉट नं. 74 रकबा - 20 डिसमिल चौहद्दी उ. निज द. लीलो महतो वगैरह पू. रास्ता प. सुखदेव पासवान वगैरह पर दिनांक 06/01/24 को निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया। उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष का कहना है कि तकरारी जमीन उनकी खतियानी भूमि है तथा खतियान उनके पूर्वज कुतहल दुसाध के नाम से है साथ ही उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल बगोदर के पंजी-II के पृष्ठ सं. 02 Volume No. 43 पर कायम है। उनका आगे यह भी कहना है कि उक्त भूमि की लगान रसीद लगातार निर्गत होते आ रही है। प्रथम पक्ष आगे कहते हैं कि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिस कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में खतियान, लगान रसीद की छायाप्रति तथा Partition Suit 501/1964 में पारित न्यायादेश की स्वअभिप्रमाणित प्रति दाखिल करते हैं।	1/2

Scanned with OKEN Scanner

वहीं दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि तकरारी भूमि उनके पूर्वज मनी महतो को बन्दोबस्ती से हासिल है जिसकी जमाबन्दी कायम है साथ ही सरकारी रसीद भी निर्गत है। द्वितीय पक्ष का आगे यह भी कहना है कि न्यायालय मुंसिफ हजारीबाग में Partition suit 501/64 में पारित decree के आलोक में तकरारी भूमि उनके हिस्से की है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में समगढ़ राज द्वारा निर्गत लगान रसीद, अंचल बगोदर द्वारा निर्गत लगान रसीद, online पंजी-II की प्रति प्रस्तुत करते हैं।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए दलीलों को सुनने तथा अंचल अधिकारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित भूमि रैयती खाते की है तथा उभय पक्ष में बँटवारे को लेकर विवाद है। Partition suit सं. 501/1964 में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य अनेक भूखण्ड के साथ-साथ प्रश्नगत भू-खण्डों पर भी अपना न्यायनिर्णय दे दिया है। उभय पक्ष उक्त न्यायनिर्णय के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। दं.प्र.सं. की धारा-144 के तहत अन्य कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं होगा। उक्त विवेचन के साथ ही दं.प्र.सं. की धारा 144(5) के तहत कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

ह० 5/3/24	ह० 5/3/24
अनुमंडल पदा०	अनुमंडल पदा०
बगोदर सरिया	बगोदर-सरिया

C.C. Issued
14/6/24
प्र०प्र०लि०

C.C. Issued
30/4/24
प्र०प्र०लि०

C.C. Issued
24/4/24
प्र०प्र०लि०

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 14:27:28 +05:30
Location: 192.168.1.3

Scanned with OKEN Scanner